झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

झारखण्ड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025

विषयसूची

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ
2. परिभाषाएं
3. झारखंड राज्य कोचिंग सेंटर नियामक प्राधिकरण
4. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन और नियुक्ति
5. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल और सेवा की शर्तें
6. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का इस्तीफा और निष्कासन
7. प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य
8. प्राधिकरण की प्रक्रिया
9. जिला कोचिंग सेंटर नियामक समिति
10. जिला कोचिंग सेंटर नियामक समिति की शक्तियाँ और कर्त्तव्य
11. समिति की प्रक्रिया
12. प्राधिकरण और समिति के कोष, वित्त और अंकेक्षण
13. कोचिंग सेंटर का पंजीकरण और स्थापना
14. विद्यार्थियों का पंजीकरण
15. मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं का पंजीकरण
16. ट्यूटर्स का पंजीकरण
17. कोचिंग सेंटर का संचालन
18. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन
19. व्याख्या
20. आदेश जारी करने की शक्ति
21. सभी कार्यों और आदेशों का संरक्षण
22. रिक्ति आदि के कारण कार्यों और कार्यवाहियों को अमान्य नहीं ठहराया जाएगा
23. अभिलेखों का रखरखाव
24. कोचिंग सेंटर के स्थानांतरण संबंधी बंधेज
25. जांच करने की शक्ति
26. शिकायतों का निपटारा और जुर्माना लगाना
27. कोचिंग सेंटर का समापन
28. नियम बनाने की शक्ति
29. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
30. संस्थानों के लिए छूट
31. आधिकारिक पाठ की भाषा
32. अन्य कानूनों पर अधिनियम की प्रधानता

झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025

प्रस्तावना

कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण, नियंत्रण, विनियमन एवं न्यूनतम मानकों के निर्धारण, विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखने, उन्हें कैरियर मार्गदर्शन और मानसिक कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने, कोचिंग सेंटरों में नामांकित विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने और उनमें तनाव कम करने के लिए उचित उपाय करने, तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और विशिष्ट संस्थानों में प्रवेश आदि में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सहायता और समग्र विकास प्रदान करने एवं उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में झारखंड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जाए:

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम को झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

(3) यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "*प्राधिकरण*" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित झारखंड राज्य कोचिंग सेंटर विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) "*बोर्ड*" से अभिप्रेत है कोई ऐसा शिक्षा बोर्ड, जो माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं को संचालित करने और प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और अधिकृत हो;

(ग) "*कोचिंग*" से अभिप्रेत है भौतिक या ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में 50 से अधिक विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की किसी भी शाखा में ट्यूशन, निर्देश या मार्गदर्शन, लेकिन इसमें परामर्श, खेल, नृत्य, रंगमंच और अन्य रचनात्मक गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं;

(घ) *"कोचिंग सेंटर"* से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित, संचालित या शासित केंद्र, जो 50 से अधिक विद्यार्थियों को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर किसी अध्ययन कार्यक्रम या प्रतियोगी परीक्षाओं या शैक्षणिक सहायता के लिए कोचिंग प्रदान करता है;

(ङ) *"समिति"* से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 9 के तहत गठित जिला स्तरीय कोचिंग सेंटर विनियामक समिति;

(च) *"अंगीभूत महाविद्यालय"* से अभिप्रेत है ऐसे महाविद्यालय जिनकी स्थापना, अनुरक्षण एवं संचालन राजकीय विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है;

(छ) *"उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग"* से अभिप्रेत है झारखंड सरकार का उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, या जिस भी नाम से इसे पुकारा जाए;

(ज) *"फ्रेंचाइज़ी अनुबंध"* से अभिप्रेत है दो व्यक्तियों के बीच किया गया एक विधिक रूप से बाध्यकारी अनुबंध, जो झारखंड राज्य में कोचिंग संचालित करने के प्रयोजनार्थ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपने विधिक नाम के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु हस्ताक्षरित किया गया हो, और जिसमें फ्रेंचाइज़ी शुल्क या रॉयल्टी, अवधि, व्यय तथा राजस्व का विभाजन, समाप्ति के आधार तथा दायित्व सहित, किन्तु इन्हीं तक सीमित न रहने वाले, ब्यौरे उपबंधित हों;

(झ) *"संस्था"* से अभिप्रेत है एक स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय या कोई अन्य शैक्षणिक संस्थान जो किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो या संबद्ध हो या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित या मान्यता प्राप्त हो; या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित हो;

(ञ) *"जांच समिति"* से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 13 या धारा 26 के तहत गठित समिति;

(ट) *"व्यक्ति"* से अभिप्रेत है एक व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह या एक निगमित निकाय, या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत एक ट्रस्ट या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत स्थापित एक सीमित देयता भागीदारी या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत एक कंपनी;

(ठ) *"निर्धारित"* से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित;

(ड) *"कार्यक्रम प्रबंधन प्रकोष्ठ"* से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 09 के अधीन जिला स्तरीय कोचिंग सेंटर विनियामक समिति द्वारा जिला स्तर पर स्थापित एक समर्पित प्रकोष्ठ;

(ढ) *"भारतीय पुनर्वास परिषद"* से अभिप्रेत है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण को विनियमित करने और केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर के रखरखाव के लिए स्थापित वैधानिक परिषद;

(ण) *"राज्य सरकार"* से अभिप्रेत है झारखंड राज्य सरकार;

(त) "*राज्य विश्वविद्यालय*" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा स्थापित, प्रबंधित और अनुरक्षित विश्वविद्यालय;

(थ) "*ट्यूटर*" से अभिप्रेत है जो किसी कोचिंग सेंटर में पूर्णकालिक रोजगार या अंशकालिक संलग्नता के आधार पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन या प्रशिक्षण देता है या कोचिंग प्रदान करता है;

(द) "*विश्वविद्यालय*" से अभिप्रेत है कोई ऐसा विश्वविद्यालय, जो संसद के किसी अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित हो, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यताप्राप्त हो; तथा

(ध) "*वेब पोर्टल*" से अभिप्रेत है विद्यार्थियों, ट्यूटरों, मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं और कोचिंग केन्द्रों के पंजीकरण, आवेदनों के सम्पूर्ण प्रबंधन तथा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी आदेशों के अंतर्गत अन्य प्रावधानों के संचालन के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विकसित और अनुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल।

3. झारखंड राज्य कोचिंग सेंटर नियामक प्राधिकरण

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, झारखंड राज्य कोचिंग सेंटर विनियामक प्राधिकरण नामक एक राज्य स्तरीय प्राधिकरण गठित किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियत की गई तिथि से प्रभावी होगा ।

(2) प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी, तथा उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने, धारित करने और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे: -

(क) सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी जो प्रधान जिला न्यायाधीश के पद से अन्यून हो- अध्यक्ष;

(ख) राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून सेवानिवृत्त पदाधिकारी जिसे प्रशासनिक मामलों को संभालने का पूर्व अनुभव हो - उपाध्यक्ष सह सदस्य; तथा

(ग) उपभोक्ता मामले और शिकायत निवारण में पूर्व अनुभव रखने वाला राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून सेवानिवृत्त पदाधिकारी – सदस्य ।

(4) प्राधिकरण का एक सचिव होगा जो राज्य सरकार के अवर सचिव से अन्यून पद का

पदाधिकारी होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(5) प्राधिकरण की बैठकों के लिए गणपूर्ति 02 (दो) सदस्यों से निर्धारित की जाएगी, जिसमें अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होगी:

बशर्ते कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष को प्रदत्त शक्तियों के साथ सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(6) प्राधिकरण सामान्यतः प्रत्येक माह न्यूनतम 01 (एक) बैठक अथवा अध्यक्ष के निदेशानुसार बैठक आयोजित करेगा। अध्यक्ष प्राधिकरण की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में अन्य विषय-विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकते हैं।

(7) झारखंड सरकार का उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्राधिकरण को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा।

4. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन और नियुक्ति

(1) अध्यक्ष सहित प्राधिकरण के सभी सदस्यों की नियुक्ति उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित तरीके से की जाएगी।

(2) अध्यक्ष सहित प्राधिकरण के सभी सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पद की रिक्ति की संभावित तिथि से कम से कम छह माह पूर्व शुरू होगी और नियुक्ति की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पद की रिक्ति की संभावित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व पूरी हो जाएगी:

बशर्ते कि प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इस अधिनियम के अधिनियमन के 06 माह के भीतर की जाएगी।

(3) प्राधिकरण के सचिव की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करें कि अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद रिक्त न रहे।

5. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल और सेवा की शर्तें

(1) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से पाँच साल की अवधि के लिए, या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।

(2) किसीको अध्यक्ष या सदस्य के पद पर एक से अधिक कार्यकाल के लिए उसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(3) अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें नियमों में निर्धारित अनुसार होंगी।

6. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का इस्तीफा और निष्कासन

(1) प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को संबोधित लिखित अनुरोध पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे, जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकार किए जाने पर लागू होगा:

बशर्ते कि, यदि त्यागपत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना, इसकी प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर नहीं दी जाती है, तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा।

(2) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, आदेश द्वारा, अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को पद से हटा सकता है, यदि वह:-

(क) किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो; या

(ख) अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी सवेतन रोजगार करता है; या

(ग) उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण या राज्य सरकार के हित के लिए हानिकारक किसी चूक या कार्य में लिप्त होने के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है; या

(घ) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की राय में राज्य सरकार के सर्वोत्तम हित में कार्य नहीं कर रहा है या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत सौंपे गए कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है; या

(ङ) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की संतुष्टि के अनुरूप प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है।

(3) इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य कदाचार या अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर हटाए जाने योग्य होंगे।

(4) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को उपधारा (2) में उल्लिखित आधारों पर, जांच किए जाने और अभ्यावेदन करने का अवसर दिए जाने के पश्चात् ही, नियमों में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाएगा।

7. प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य

(1) प्राधिकरण, समिति के आदेश के विरुद्ध, इस अधिनियम की प्रासंगिक और लागू धाराओं के अंतर्गत, ऐसे किसी आदेश के जारी होने के 30 (तीस) दिन के भीतर, प्राप्त अपील पर विचार करेगा।

(2) प्राधिकरण 30 (तीस) दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर न करने के पर्याप्त कारण है।

(3) प्राधिकरण अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, अपील प्राप्ति के 120 (एक सौ बीस) दिनों के भीतर उसका निपटारा करेगा।

(4) यदि प्राधिकरण द्वारा 120 (एक सौ बीस) दिनों के भीतर अपील का निपटारा नहीं किया जाता है, तो समिति द्वारा पारित मूल आदेश वैध रहेगा।

(5) प्राधिकरण कोचिंग सेंटरों और अन्य संबद्ध गतिविधियों जैसे विद्यार्थियों, कोचिंग सेंटरों और उनके कर्मचारियों के पंजीकरण, शिकायत निवारण प्रणाली, कोचिंग सेंटरों द्वारा सूचना के प्रकटीकरण आदि की संपूर्ण निगरानी के लिए एक ऑनलाइन वेब-पोर्टल के विकास की देखरेख करेगा।

(6) प्राधिकरण आवश्यकतानुसार समिति(यों) के कार्य निष्पादन की निगरानी करेगा तथा इस अधिनियम के प्रावधानों या बनाए गए नियमों या इसके अधीन जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित समितियों को निर्देश देगा।

(7) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि कोचिंग सेंटरों के अभिभावकों, विद्यार्थियों और ट्यूटरों की शिकायतों का निवारण समिति द्वारा समयबद्ध तरीके से किया जाए।

(8) प्राधिकरण को कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर, वह किसी कोचिंग सेंटर की जाँच करवाएगा और उसके अभिलेखों को तलब करेगा। कोचिंग सेंटर का मालिक या प्रभारी व्यक्ति जाँच के दौरान प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अपेक्षित ऐसे सभी अभिलेख प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(9) प्राधिकरण को विशिष्ट प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए समिति से कोई भी जानकारी मांगने की शक्ति होगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(10) प्राधिकरण को राज्य सरकार से अनुदान या सहायता प्राप्त करने वाले कोचिंग सेंटर के खातों की अंकेक्षण राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों के द्वारा नियमित अंतराल पर कराने की शक्ति होगी।

(11) प्राधिकरण को समिति की अनुशंसा पर, नियमों में निर्धारित तरीके से, व्यक्ति को काली सूची में डालने का अधिकार होगा।

(12) प्राधिकरण के पास वे सभी शक्तियाँ होंगी और वह ऐसे अन्य कार्य करेगा जो नियमों द्वारा निर्धारित किए जाएँ।

8. प्राधिकरण की प्रक्रिया

(1) प्राधिकरण, अपीलों की सुनवाई और निपटान के प्रयोजनों के लिए, अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत प्रदत्त है, और सक्षम होगा कि –

(क) किसी ऐसे आदेश के निष्पादन पर रोक लगाए जिसके विरुद्ध अपील की गई है, ऐसी शर्तों पर जैसा वह उचित समझे; तथा

(ख) किसी ऐसे आदेश के निष्पादन पर रोक लगाए जिसके विरुद्ध अपील की गई है, ऐसी शर्तों पर जैसा वह उचित समझे।

(2) प्राधिकरण के समक्ष दायर की गई प्रत्येक अपील के साथ नियमों द्वारा निर्धारित एक गैर-वापसी योग्य शुल्क संलग्न होगा।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी विपरीत करार या संविदा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा दायर और निपटाए गए अपील पर उसका निर्णय सभी संबंधित पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(4) यदि कोई कोचिंग सेंटर, बिना किसी उचित कारण के, प्राधिकरण द्वारा जारी किसी निर्देश या आदेश का उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में विफल रहता है, तो ऐसे कोचिंग सेंटर को इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ माना जाएगा और वह इस अधिनियम की धारा 26 के तहत यथा-उपबंधित दंड का भागी होगा।

9. जिला कोचिंग सेंटर नियामक समिति

(1) राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली ऐसी तारीख से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य के प्रत्येक जिले में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसे जिला कोचिंग सेंटर नियामक समिति के नाम से जाना जाएगा।

(2) समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्: -

(क) उपायुक्त – अध्यक्ष;

(ख) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक – सदस्य;

(ग) जिले के किसी भी अंगीभूत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, जिन्हें संबंधित राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा - सदस्य;

(घ) जिला रोजगार पदाधिकारी– सदस्य; तथा

(ङ) जिला शिक्षा पदाधिकारी – सदस्य सचिव ।

(3) समिति के नामित सदस्य को हटाया जा सकेगा, यदि वह कोई ऐसा कार्य करता है जो अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप नहीं है, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाए:

बशर्ते कि, किसी भी मनोनीत सदस्य को सुनवाई का अवसर दिए बिना समिति से नहीं हटाया जाएगा।

(4) यदि आवश्यक हो तो अध्यक्ष समिति की बैठकों के लिए अन्य अधिकारियों या जिला स्तरीय पदाधिकारियों को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं।

(5) समिति एक कार्यक्रम प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन करेगी, जिसका नेतृत्व एक कार्यक्रम प्रबंधक तथा विधिवेत्ता या वित्त या सूचना प्रौद्योगिकी आदि के विशेषज्ञ करेंगे और यह आवेदनों की प्रारंभिक जांच में समिति की सहायता करेगी तथा उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति पर अपनी अनुसंसा समिति को प्रदान करेगी।

(6) कार्यक्रम प्रबंधन प्रकोष्ठ की संरचना, सदस्यों की पात्रता मानदंड, नियुक्ति या चयन का तरीका, सेवा की शर्तें तथा वेतन एवं भत्ते नियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(7) समिति अध्यक्ष की आवश्यकतानुसार नियमित रूप से बैठकें आयोजित करेगी।

(8) समिति की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों के आधे से निर्धारित किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष और सदस्य सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

10. जिला कोचिंग सेंटर नियामक समिति की शक्तियाँ और कर्त्तव्य

(1) समिति को निम्नलिखित शक्तियां और कर्त्तव्य प्राप्त होंगी, अर्थात: -

(क) सुनिश्चित करना कि उसके क्षेत्राधिकार के तहत पंजीकृत सभी कोचिंग केंद्र इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन करें;

(ख) जिले के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के कोचिंग सेंटर के पंजीकरण या स्थापना के लिए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना;

(ग) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेश के प्रावधानों के संचालन से संबंधित किसी भी मामले पर जानकारी या रिपोर्ट मांगना या सत्यापन करना, निर्देश जारी करना अथवा जिला स्तरीय पदाधिकारियों को प्राधिकृत करना;

(घ) यह अनिवार्य करना कि व्यक्तियों, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए जिला या ब्लॉक स्तर पर हेल्पलाइन स्थापित की जाए और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जाए;

(ङ) जिले के सभी पंजीकृत कोचिंग सेंटरों और इस अधिनियम के तहत उनके द्वारा की गई किसी भी शिकायत या उल्लंघन के लिए भौतिक और डिजिटल रूप में रिकॉर्ड संधारित रखना;

(च) इस अधिनियम के प्रावधानों, या उसके तहत बनाए गए नियमों अथवा जारी किए गए आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में, कोचिंग सेंटर पर दंड अधिरोपित करना तथा संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई परफॉरमेंस बैंक गारंटी को भुनाना;

(छ) कार्यक्रम प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना करना तथा आवश्यकतानुसार तकनीकी, अवसंरचनात्मक और मानव संसाधन सुविधाओं या संसाधनों की उपलब्धता करके समयबद्ध तरीके से इसके संचालन की देखरेख करना;

(ज) कोचिंग केंद्रों से संबंधित कदाचारों पर नियंत्रण रखना, जिसमें मिथ्या विज्ञापन, झूठे दावे, लुभावने प्रस्ताव, निश्चित चयन जैसी प्रथाएं सम्मिलित हैं, परंतु केवल इन्हीं तक यह सीमित नहीं हैं;

(झ) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उपयुक्त निर्देश जारी करके छात्रों या अभिभावकों या कोचिंग सेंटर द्वारा की गई शिकायतों की जाँच करना और उनका निपटारा करना;

(ञ) छात्रावासों या विद्यार्थियों के किसी अन्य आवास वाले क्षेत्रों में नियमित पुलिस गश्त को सुनिश्चित करना;

(ट) पंजीकरण शुल्क, शास्ति शुल्क या किसी अन्य स्रोत (राज्य सरकार से अनुदान को छोड़कर) से प्राप्त राशि के लिए, जैसा कि इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत या इस संबंध में जारी आदेशों द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी गई है, राज्य सरकार द्वारा निधि रखने के लिए अनुमति प्राप्त किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक अलग बैंक खाता संधारित रखना; तथा

(ठ) नियमों द्वारा निर्धारित अन्य कर्तव्यों का पालन करना।

(2) समिति के पास ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी और वह ऐसे अन्य कर्तव्य करेगा जो नियमों द्वारा निर्धारित किए जाएँ।

11. समिति की प्रक्रिया

(1) समिति को इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित मामलों के संबंध में , सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :-

(क) किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसकी जांच करना;

(ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुति के योग्य किसी अभिलेख अथवा भौतिक वस्तु की खोज करना तथा उसकी प्रस्तुति की मांग करना;

(ग) हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) सार्वजनिक अभिलेखों की मांग;

(ङ) गवाहों के परीक्षण के लिए आदेश जारी करना;

(च) अपने निर्णयों, निर्देशों और आदेशों की समीक्षा करना; तथा

(छ) कोई अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

(2) समिति, जैसा वह उचित समझे, किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या मामले में ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकती है, जो उपयुक्त हो।

(3) समिति, अगर ऐसा उचित समझे तो, किसी को, अपने समक्ष कार्यवाही में विद्यार्थियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत कर सकती है।

(4) इस अधिनियम के अंतर्गत सभी विवादों का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए शीघ्रता से किया जाएगा।

12.प्राधिकरण और समिति के कोष, वित्त और अंकेक्षण

(1) राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण और समिति को अनुदान प्रदान कर सकती है, जैसा वह प्राधिकरण और समिति के संचालन के लिए आवश्यक समझे।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण और समिति का सरकारी खजाने में अलग-अलग पर्सनल डिपॉज़िट (पी डी) खाता होगा।

(3) इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा निधि रखने के लिए अनुमति प्राप्त किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में प्राधिकरण एवं समिति का अपना समर्पित बैंक खाता होगा, जिसमें आवेदन शुल्क, जुर्माने और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी अन्य स्रोत से प्राप्त निधियों से प्राप्त समस्त आय जमा की जाएगी।

(4) प्राधिकरण और समिति का व्यय राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों या प्रक्रिया के अनुसार उनके द्वारा संचालित पर्सनल डिपॉज़िट (पी डी) खाते और बैंक खाते से किया जाएगा।

(5) प्राधिकरण या समिति का कोई भी पदाधिकारी जो उपधारा (4) में उपबंधित नियमों या प्रक्रियाओं या इस संबंध में राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए व्यय करता है, ऐसे उल्लंघन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाएगा।

(6) प्राधिकरण और समिति प्रत्येक वर्ष, ऐसे प्रारूप और ऐसे समय पर, जैसा निर्धारित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट तैयार करेंगे, जिसमें अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दर्शाए जाएंगे, और उसे आवश्यक अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे।

(7) प्राधिकरण और समिति का अध्यक्ष स्वयं तथा प्राधिकरण और समिति के अन्य सभी अधिकारियों के संबंध में क्रमशः नियंत्रण पदाधिकारी होगा और ऐसी सभी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जो प्राधिकरण या समिति के अध्यक्ष के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष में सामान्यतः निहित होती हैं।

(8) प्राधिकरण के सचिव और समिति के सदस्य सचिव निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे और वे प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त कार्यालय प्रमुख में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(9) प्राधिकरण और समिति खातों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखेंगे, जिनकी आंतरिक रूप से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से अंकेक्षण की जाएगी और ऐसे खातों को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(10) प्राधिकरण और समिति अपने वार्षिक लेखा संवरण यथाशीघ्र ऐसे प्रारूप में खातों का विवरण तैयार करेंगे और उसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम), 1971 की धारा 14 के अंतर्गत अंकेक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि तक महालेखाकार को भेजेंगे।

(11) राज्य सरकार, प्राधिकरण एवं समिति/समितियों के खातों का परीक्षण लेखा (टेस्ट ऑडिट) या पूर्ण अंकेक्षण (पूर्ण ऑडिट) नियमित अंतराल पर कराए जाने की व्यवस्था करेगी, जिसे नियमों द्वारा निर्धारित अनुसार प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखंड या अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, झारखंड द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा संपन्न कराया जाएगा।

(12) प्राधिकरण और समिति के वार्षिक लेखे तथा उन पर अंकेक्षण प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

(13) प्राधिकरण का यह दायित्व होगा कि वह प्राधिकरण और समिति द्वारा किए गए कार्यों पर प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त के भीतर राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

13. कोचिंग सेंटर का पंजीकरण और स्थापना

(1) इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व झारखंड राज्य में कोचिंग सेंटर संचालित करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के लागू होने के 06 (छह) महीने के भीतर या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विस्तारित समय के भीतर, नियमों द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा:

बशर्ते कि, यदि कोई व्यक्ति जो कोचिंग सेंटर चला रहा है, उपरोक्त वर्णित अवधि या समय के भीतर आवेदन नहीं करता है, तो इसे इस अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा तथा इस अधिनियम या बनाए गए नियमों या इसके तहत जारी आदेशों के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित समिति को प्रस्तुत किए गए ऐसे सभी आवेदनों पर समिति द्वारा उनके प्रस्तुत किए जाने से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा:

बशर्ते कि, यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है और प्राधिकरण में अपील के बाद भी अस्वीकार कर दिया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा अपील अस्वीकार किए जाने के 6 (छह) महीने के भीतर कोचिंग सेंटर का समापन हो जाएगा, और ऐसे कोचिंग सेंटरों के लिए कोई नया प्रवेश/नामांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) कोई भी व्यक्ति जो कोचिंग प्रदान करना चाहता है या कोचिंग सेंटर स्थापित या संचालित करना चाहता है, वह संबंधित समिति को वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा, जिसके साथ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित एक गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क संलग्न होगा।

(4) यदि कोचिंग सेंटर चलाने वाले व्यक्ति के पास जिले के भीतर या बाहर कई परिसर या शाखाएं हैं, तो ऐसे प्रत्येक परिसर या शाखा को अलग कोचिंग सेंटर माना जाएगा और संबंधित जिले में प्रत्येक शाखा या परिसर के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति फ्रैंचाइजी अनुबंध के माध्यम से कोचिंग सेंटर का संचालन कर रहा है या संचालन के लिए आवेदन कर रहा है, तो पंजीकरण के लिए आवेदन फ्रेंचाइजी की ओर से फ्रेंचाइजर द्वारा किया जायेगा एवं यह फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी की संयुक्त जिम्मेदारी होगी कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके तहत बनाए गए नियमों या जारी आदेशों का पूर्ण और निरपेक्ष अनुपालन सुनिश्चित करें।

(6) कोचिंग सेंटर की स्थापना या पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित पहलुओं के बारे में जानकारी शामिल होगी, अर्थात्:-

(क) आधारभूत संरचना :-

(i) कोचिंग सेंटर के संचालन का स्थान, जियोटैग किए गए निर्देशांकों के साथ;

(ii) कोचिंग सेंटर के संचालन के स्थान के लिए आवेदन करने वाली मूल संरचना का पूर्ण और भार मुक्त स्वामित्व या पट्टा।

(iii) उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी अधिभोग प्रमाण पत्र, जिसमें परिचालन स्थल का उपयोग केवल वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किए जाने का उल्लेख हो, यदि लागू हो;

(iv) कोचिंग सेंटर में नामांकित प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कक्षा के न्यूनतम एक वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र का आवंटन, समवर्ती रूप से संचालित होने वाले बैचों के लिए, और नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त सहायक बुनियादी ढांचा होगा;

(v) शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016; झारखंड भवन उपनियम, 2016; और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 या अन्य मानकों के लागू प्रावधानों के अनुसार संचालन स्थल का अनुपालन और उपयुक्त वैधानिक या नियामक प्राधिकरण से अग्नि और भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करना या प्राप्त कर लिया है;

(vi) प्राथमिक चिकित्सा किट और चिकित्सा सहायता, आपातकालीन सेवाओं के लिए डॉक्टर और संचालन स्थल के सभी प्रमुख स्थानों पर सभी आपातकालीन सेवाओं और महिला हेल्पलाइन का विवरण प्रदर्शित करें या प्रदर्शित किया है;

(vii) पूर्णतः विद्युतीकृत, अच्छी तरह हवादार, प्रत्येक कक्षा में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के साथ संचालन स्थल;

(viii) कोचिंग सेंटर के सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल की सुविधा;

(ix) सीसीटीवी कैमरों की उपयुक्त व्यवस्था और आवश्यकतानुसार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती;

(x) आवश्यकतानुसार बाल देखभाल सुविधाओं और गर्भवती महिलाओं अथवा 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था;

(xi) विद्यार्थियों के लिए शिकायत पेटी और किसी भी शिकायत या परेशानी के समय पर समाधान के लिए उपयुक्त तंत्र;

(xii) कोचिंग सेंटर भवन परिसर में पुरुष और महिला विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग शौचालयों का प्रावधान;

(xiii) कोचिंग सेंटर के नामांकन के अनुपात में वाहनों की पार्किंग की सुविधा;

(xiv) कोचिंग कक्षाओं के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में बेंच, कुर्सियां, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर सिस्टम आदि की व्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे के उपयोग की नीति; तथा

(xv) कोई अन्य शर्ते जो बनाए गए नियमों अथवा उसके अंतर्गत जारी आदेशों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

(ख) पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, मूल्यांकन एवं शुल्क:-

(i) पाठ्यक्रमों की सूची, विस्तृत पाठ योजना के साथ इसका पाठ्यक्रम और रचनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन के प्रावधान;

(ii) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सांकेतिक बैचवार समय सारिणी, साथ ही प्रारंभ तिथि, समाप्ति तिथि और प्रत्येक कक्षा के बीच प्रदान किए गए उपयुक्त ब्रेक;

(iii) कोचिंग सेंटर के संचालन का समय अधिकतम स्वीकृत समय अवधि प्रातः 6:00 बजे से सायं 9:00 बजे तक;

(iv) बैचों की संख्या, एक साथ आयोजित किए जाने वाले बैचों की संख्या तथा किसी भी पाठ्यक्रम में किसी भी बैच में नामांकित होने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या;

(v) पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या, चयनित विद्यार्थियों और चयन के प्रतिशत सहित विद्यार्थियों की वास्तविक सांख्यिकीय जानकारी का खुलासा करना;

(vi) अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, दिव्यांगजन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान, यदि हो;

(vii) किसी भी स्कूल या शैक्षणिक संस्थान में वर्तमान में नामांकित विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं की अलग अवधि की व्यवस्था;

(viii) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अनुभव के साथ ट्यूटर नियुक्त किए जाएंगे;

(ix) ट्यूटर-विद्यार्थी के लिए नीति तैयार करना तथा नीति के अनुसार ट्यूटर्स की संख्या बनाए रखना;

(x) पाठ्यक्रम में नामांकन से पहले विद्यार्थियों को परीक्षा की कठिनाई, पाठ्यक्रम, तैयारी की तीव्रता के स्तर और विद्यार्थी से अपेक्षित प्रयासों के बारे में अवगत कराने की व्यवस्था;

(xi) विद्यार्थी द्वारा की गई प्रगति को प्रदर्शित करने और विद्यार्थी की शिक्षा को प्रभावित करने वाले किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नियमित अभिभावक-ट्यूटर बैठकें;

(xii) उन विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक या सहायता कक्षाओं की व्यवस्था करना जिन्हें अपनी पढ़ाई में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है;

(xiii) पाठ्यक्रमों के लिए ली जाने वाली फीस एवं उनके संग्रह की विधि, लेखांकन और अंकेक्षण;

(xiv) ऑनलाइन, ऑफलाइन या हाइब्रिड मोड में विद्यार्थी के मूल्यांकन के लिए तंत्र और पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद उचित समय तक ऐसे मूल्यांकन का सुरक्षित भंडारण;

(xv) प्रत्येक नामांकित विद्यार्थी की दैनिक उपस्थिति की कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्डिंग का विवरण;

(xvi) आसान निकास नीति, शुल्क वापसी नीति, और कोचिंग सेंटरों के बीच उम्मीदवारी के स्थानांतरण के लिए नीति;

(xvii) चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षित पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों के खातों के विवरण की प्रति; तथा

(xviii) बनाए गए नियमों या उसके अंतर्गत जारी आदेशों में कोई अन्य शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं।

(ग) अन्य सुविधाएं जैसे:-

(i) कोचिंग सेंटर की बुनियादी ढांचा नीति के अनुसार नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कोचिंग कक्षा के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में बेंच एवं डेस्क;

(ii) बिना किसी व्याख्यान या मूल्यांकन या ट्यूटोरियल या परीक्षण के पर्याप्त साप्ताहिक अवकाश;

(iii) ट्यूटर्स और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर गुमनाम प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए तंत्र;

(iv) नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र परिषदों या किसी भी शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में संचालित कोचिंग सेंटरों के लिए:-

क. समय-समय पर संशोधित झारखंड नगरपालिका व्यापार लाइसेंस विनियमन, 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध व्यापार लाइसेंस का अधिकार,

ख. संचालन स्थल के लिए नगरपालिका संपत्ति कर का समय पर और पूर्ण भुगतान तथा झारखंड नगरपालिका कर भुगतान (समय, प्रक्रिया और वसूली) अधिनियम, 2017 के तहत अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन के बारे में जानकारी; तथा

(v) बनाए गए नियमों या उसके अंतर्गत जारी आदेशों में कोई अन्य शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं।

(7) कोचिंग सेंटर के पंजीकरण या स्थापना के लिए आवेदन के साथ एक वचनबद्धता संलग्न करेगा जिसमें यह कहा जाएगा कि:-

(क) केवल "पंजीकृत कोचिंग सेंटर" शब्द का प्रयोग करें और किसी भी साइन बोर्ड या किसी भी प्रॉस्पेक्टस या पत्राचार या किसी भी प्रकृति के संचार या किसी भी स्थान पर "मान्यता प्राप्त" या "अनुमोदित" शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे;

(ख) संचालन स्थल के बाहर कोचिंग सेंटर का सीसीआर-आईडी और नाम, सभी शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक सामग्री, विज्ञापन, प्रचार संबंधी वस्तुएं या कोचिंग के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु का स्पष्ट उल्लेख करना;

(ग) अपने संस्थानों/स्कूलों के समय में उन विद्यार्थियों के लिए कोचिंग कक्षाएं संचालित न करें जो संस्थान/स्कूलों में पढ़ रहे हों;

(घ) ट्यूटर्स की योग्यता, कोचिंग क्लास की समय सारिणी, ली जाने वाली फीस और कोचिंग सेंटर के संबंध में सामान्य जानकारी, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, अपनी वेबसाइट और / या कोचिंग सेंटर के परिसर में प्रमुख स्थानों पर नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध कराएं;

(ङ) ऐसे ट्यूटर्स की नियुक्ति की जाएगी जिनके पास न्यूनतम स्नातक योग्यता हो तथा जिन्हें किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी न ठहराया गया हो तथा ऐसी किसी भी दोषसिद्धि की सूचना तत्काल समिति(यों) को दी जाएगी;

(च) कोचिंग सेंटर में प्रवेश दिए जाने वाले विद्यार्थियों की निर्दिष्ट संख्या के संबंध में शर्त का कड़ाई से पालन करना;

(छ) अपनी मानव संसाधन नीति का पालन करना जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य श्रम कानून/संहिता के अनुरूप है, जिसमें सेवा शर्तें, वेतन, नियुक्ति का तरीका, प्रदान किए गए सामाजिक सुरक्षा लाभ, भविष्य निधि, बीमा, ग्रेच्युटी, ट्यूटर्स और अन्य कर्मचारियों के कार्य घंटे सहित प्रावधान शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

(ज) कोचिंग सेंटर में नामांकित प्रत्येक 1000 विद्यार्थियों के लिए कम से कम एक प्रमाणित मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता को नियुक्त करना, जो कम से कम 200 कैलेंडर दिनों के लिए निःशुल्क परामर्श सत्र उपलब्ध कराएगा;

(झ) विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को मासिक आधार पर विद्यार्थी के सीखने और प्रदर्शन की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रदान करना;

(ञ) वेबसाइट पर ट्यूटर्स की योग्यता, पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या, पूरा करने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं (यदि कोई हो) और ली जा रही फीस, आसान निकासी नीति,

फीस वापसी नीति, केंद्र से कोचिंग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने में सफल विद्यार्थियों की संख्या आदि के बारे में अद्यतन जानकारी होनी चाहिए;

(ट) राज्य सरकार की सब्सिडीयुक्त या निःशुल्क योजनाओं के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति देना;

(ठ) किसी भी गतिविधि की संभावना के बारे में समिति को बताना या सूचित करना जो राज्य सरकार के हित के खिलाफ हो; तथा

(ड) इस अधिनियम के अन्य नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

(8) इसके अतिरिक्त, कोचिंग सेंटर को आवेदन के साथ निम्नवत कार्य नहीं करने का एक वचनबद्धता संलग्न करेगा:-

(क) स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त करना;

(ख) 16 वर्ष से कम आयु के या माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (मैट्रिकुलेशन) उत्तीर्ण न करने वाले विद्यार्थियों को उनके माता-पिता/अभिभावक की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना नामांकित करना;

(ग) कोचिंग सेंटर में नामांकन के लिए माता-पिता/विद्यार्थियों को रैंक या अच्छे अंक दिलाने का भ्रामक वादा या गारंटी देना;

(घ) प्रस्तावित पाठ्यक्रम, पूरा होने की अवधि, ट्यूटर का अनुभव, शुल्क, शुल्क वापसी सहित पाठ्यक्रम निकास नीति, चयनों की संख्या, परीक्षा में रैंक या सफलता दर, चयन की गारंटी, नौकरी की सुरक्षा, नौकरी में पदोन्नति, वेतन वृद्धि, परीक्षा के विभिन्न चरणों में सफलता, किसी संस्थान में प्रवेश के संबंध में झूठे दावे करना या विद्यार्थी को यह विश्वास दिलाना कि कोचिंग में नामांकन से अच्छी रैंक और उच्च अंक सुनिश्चित होंगे;

(ङ) तात्कालिकता की झूठी भावना पैदा करना, जिसमें तात्कालिकता या कमी की भावना को गलत तरीके से बताना या दर्शाना, वस्तुओं या सेवाओं की झूठी लोकप्रियता दिखाना शामिल है, ताकि किसी विद्यार्थी को तत्काल खरीदारी करने या तत्काल कार्रवाई करने के लिए गुमराह किया जा सके;

(च) किसी अन्य अनुचित व्यापार व्यवहार या भ्रामक विज्ञापन में संलग्न होना;

(छ) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सब्सिडीयुक्त या निःशुल्क कोचिंग योजनाओं के माध्यम से प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग कक्षाएं बनाना या विशेष कक्षाएं बनाना;

(ज) राज्य सरकार के हित के विरुद्ध किसी कार्रवाई या गतिविधि में कोचिंग सेंटर के किसी ट्यूटर या कर्मचारी को शामिल करना या उकसाना या बढ़ावा देना या सुविधा प्रदान करना या शामिल होने की अनुमति देना;

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित किसी भी डिजिटल मध्यस्थ या प्लेटफॉर्म पर राज्य सरकार के खिलाफ की गई किसी भी पोस्ट या सूचना को सुविधाजनक बनाना या पोस्ट करना या पुनः साझा करना या उसका अनुसरण करना;

(ञ) कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग सेंटर या ऐसी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थी द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दावे से संबंधित किसी भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित करना या प्रकाशित करवाना या प्रकाशन में भाग लेना; तथा

(ट) अधिनियम या बनाए गए नियमों या उसके तहत जारी आदेशों द्वारा अनिवार्य कोई भी कार्रवाई या गतिविधि करना।

(9) कोचिंग सेंटर के पंजीकरण या स्थापना के लिए आवेदन आवश्यक जानकारी, निर्धारित तरीके और प्रारूप में वचनबद्धता के बाद प्रस्तुत किया जाएगा और गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क के साथ होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में निर्धारित और अधिसूचित किया जा सकता है।

(10) समिति आवेदन प्राप्त होने पर उसकी जांच करेगी और यदि संतोषजनक पाया जाता है तो आवेदन प्राप्त होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर व्यक्ति को आशय पत्र जारी करेगी:

बशर्ते कि, यदि समिति की राय में आवेदन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो वह उसे अस्वीकार कर सकती है और अस्वीकृति के कारण बताते हुए खेद पत्र जारी कर सकती है। व्यक्ति के पास ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध 30 (तीस) दिनों के भीतर राज्य स्तरीय प्राधिकरण के समक्ष अपील करने का विकल्प होगा।

(11) यदि समिति 90 (नब्बे) दिनों के भीतर आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं करती है, तो व्यक्ति के पास ऐसे विलंब के विरुद्ध राज्य स्तरीय प्राधिकरण में अपील करने का विकल्प होगा।

(12) आशय पत्र में कोचिंग सेंटर द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें और उनके सफल अनुपालन की समयावधि शामिल होगी।

(13) आशय पत्र जारी होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, व्यक्ति को कोचिंग सेंटर के संचालन के स्थान के आधार पर, आशय पत्र जारी होने की तिथि से 06 वर्ष की अवधि के लिए वैध परफॉरमेंस बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी, जो निम्नानुसार होगी:-

(क) नगर निगम सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए 5,00,000 रुपये;

(ख) नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र परिषद (एनएसी) या अन्य शहरी स्थानीय निकाय सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए 1,00,000 रुपये; तथा

(ग) (क) और (ख) के अंतर्गत न आने वाले क्षेत्रों के लिए 50,000 रुपये।

(14) आशय पत्र जारी होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर, व्यक्ति को आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी:

बशर्ते कि, यदि व्यक्ति द्वारा आशय पत्र के अनुपालन की सूचना इसके जारी होने के 90 (नब्बे) दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो जारी किया गया आशय पत्र वापस ले लिया जाएगा और व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किसी भी निष्पादन बैंक गारंटी को समिति या समिति द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा भुनाया जाएगा।

(15) यदि समिति संतुष्ट हो जाती है कि व्यक्ति ने आशय पत्र की सभी शर्तों का अनुपालन कर लिया है, तो वह कोचिंग सेंटर के पंजीकरण को मंजूरी देगी और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर परिचालन आरंभ करने के लिए पत्र जारी करेगी:

बशर्ते कि, यदि समिति व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वह अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है या समिति द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा कोचिंग सेंटर का भौतिक सत्यापन करा सकती है या अनुपालन रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है या प्राप्त आवेदन को अस्वीकार कर सकती है और जारी किया गया आशय पत्र रद्द कर सकती है। यदि प्रस्तुत किया गया हो, तो समिति निष्पादन बैंक गारंटी को भी भुना लेगी और अस्वीकृति के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए व्यक्ति को खेद पत्र जारी करेगी। व्यक्ति के पास 30 (तीस) दिनों के भीतर प्राधिकरण के समक्ष अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने का विकल्प होगा।

(16) पंजीकरण की वैधता इसके जारी होने की तिथि से पांच वर्ष तक होगी, जब तक कि किसी कारणवश समिति या प्राधिकरण द्वारा इसे रद्द न कर दिया जाए।

(17) सफल पंजीकरण और संचालन शुरू करने के लिए पत्र जारी होने पर सभी कोचिंग सेंटरों को "सीसीआर-आईडी" नामक एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी।

(18) यह सीसीआर-आईडी कोचिंग सेंटर के वैध पंजीकरण तक वैध रहेगी तथा पंजीकरण रद्द होने पर निष्क्रिय हो जाएगी।

(19) कोचिंग सेंटरों को सभी प्रकार के विज्ञापनों और हितधारकों के साथ संचार में सीसीआर-आईडी का प्रमुखता से उल्लेख करना होगा।

(20) प्राधिकरण को इस सीसीआर-आईडी से सेवाओं, विद्यार्थियों, परामर्शदाताओं या किसी अन्य संस्था या गतिविधि को जोड़ने का अधिकार होगा।

(21) व्यक्ति को कोचिंग सेंटर के पंजीकरण की समाप्ति की तिथि से कम से कम 06 महीने पहले वेब पोर्टल पर समिति को पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करना होगा, ऐसे तरीके और प्रारूप में, और ऐसे गैर-वापसी योग्य शुल्क के साथ जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(22) समिति, वेब-पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, निर्धारित गैर-वापसी योग्य शुल्क के साथ, पंजीकरण अवधि की समाप्ति से पहले पंजीकरण के नवीनीकरण पर निर्णय लेगी।

(23) उचित मूल्यांकन के बाद समिति, संचालन पत्र की वैधता को आगामी 05 वर्षों तक की अवधि के लिए बढ़ाकर कोचिंग सेंटर के पंजीकरण का नवीकरण कर सकती है या पंजीकरण अवधि की समाप्ति से पहले, लिखित रूप में ऐसे इनकार के कारणों को दर्ज करने के बाद, व्यक्ति को इसके इनकार की सूचना दे सकती है:

बशर्ते कि, पंजीकरण के नवीकरण से इंकार करने वाला कोई आदेश, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात पारित नहीं किया जाएगा।

(24) यदि समिति कोचिंग सेंटर के पंजीकरण को नवीनीकृत न करने का निर्णय लेती है, तो वह व्यक्ति को उसके द्वारा प्रस्तुत समापन नीति के अनुसार कोचिंग सेंटर के समापन और पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देगी।

(25) समापन अवधि के दौरान, समिति समापन प्रक्रिया की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक पर्यवेक्षण प्राधिकरण की नियुक्ति करेगी।

(26) यदि कोचिंग सेंटर को उसकी वैध पंजीकरण अवधि पूरी होने से पहले बंद कर दिया जाता है या उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है, तो समिति, रद्द किए गए कोचिंग सेंटर की निष्पादन बैंक गारंटी को भुना सकती है।

14.विद्यार्थियों का पंजीकरण

(1) कोई भी विद्यार्थी जो वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थापित और पंजीकृत किसी भी कोचिंग सेंटर में कोचिंग के लिए नामांकित है या नामांकन के लिए इच्छुक है, उसे निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा:

बशर्ते कि, 16 वर्ष से कम आयु या माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (मैट्रिकुलेशन) उत्तीर्ण नहीं करने वाले किसी भी विद्यार्थी को उसके माता-पिता / अभिभावक की स्पष्ट

रूप से लिखित सहमति के बिना वेब पोर्टल पर पंजीकरण करने और किसी भी कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) सफल पंजीकरण कराए जाने पर, संबंधित विद्यार्थी को "सीईडी-आईडी" नामक एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या आवंटित की जाएगी।

(3) सीईडी-आईडी को पहचान प्रमाण (पीओआई) के रूप में "आधार" से जोड़ा जा सकता है।

(4) सीईडी-आईडी की स्थायी वैधता होगी और यदि छात्र राज्य के किसी भी संस्थान में नामांकित है, तो संबंधित संस्थान प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सीईडी-आईडी प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।

(5) राज्य सरकार सीईडी-आईडी का उपयोग विद्यार्थियों को विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय योजनाओं का लाभ प्रदान कर सकती है।

(6) विद्यार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया नियमों में यथा निर्धारित तरीके से की जाएगी।

15. मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं का पंजीकरण

(1) सभी कोचिंग सेंटर को ऐसे मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं को अपने कोचिंग सेंटर से सम्बद्ध करना अनिवार्य होगा, जो क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक या पुनर्वास मनोवैज्ञानिक के रूप में प्रमाणित हों, या प्राधिकरण द्वारा समकक्ष माने गए और भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य श्रेणी के प्रमाणन से युक्त हों।

(2) प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता को निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और सफल पंजीकरण पर उन्हें "सीएमसी-आईडी" नामक एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे आधार के साथ जोड़ा जा सकता है।

(3) संबंधित व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित या नियोजित किए जाने वाले सभी मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता वेब-पोर्टल पर पंजीकृत हों और ऐसे मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं को आवंटित सीएमसी-आईडी को कोचिंग सेंटर के संबंधित सीसीआर-आईआईडी के साथ उचित रूप से टैग किया गया हो।

(4) सीएमसी-आईडी की वैधता स्थायी होगी, जब तक कि मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उपयुक्त श्रेणियों के अंतर्गत केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं।

(5) मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता के पंजीकरण की प्रक्रिया नियमों में यथा निर्धारित तरीके से की जाएगी।

16.ट्यूटर्स का पंजीकरण

(1) किसी भी कोचिंग केंद्र में पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से वर्तमान में कार्यरत या नियोजित होने वाले, सभी शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर से कम नहीं होनी चाहिए और उन्हें निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

(2) निर्दिष्ट वेब पोर्टल में सफल पंजीकरण पर, ट्यूटर को "सीटीआर-आईडी" नामक एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे उनके आधार के साथ जोड़ा जा सकता है।

(3) किसी भी स्कूल, कॉलेज या उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा वर्तमान में नियोजित किसी भी ट्यूटर को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान वेब पोर्टल पर अपने वर्तमान और पिछले रोजगार के बारे में सभी विवरण प्रदान करना होगा।

(4) सीटीआर-आईडी की वैधता तब तक स्थायी रहेगी जब तक कि प्राधिकरण के आदेश द्वारा इसे निष्क्रिय नहीं कर दिया जाता।

(5) यदि ट्यूटर किसी कोचिंग सेंटर का अंशकालिक या पूर्णकालिक रोजगार स्वीकार करता है, तो प्रत्येक सीटीआर-आईडी को संबंधित सीसीआर-आईडी से जोड़ा जाएगा।

(6) सम्पूर्ण पंजीकरण प्रक्रिया नियमों में यथा निर्धारित तरीके से की जाएगी।

17.कोचिंग सेंटर का संचालन

(1) सफल पंजीकरण एवं सीसीआर-आईडी की प्राप्ति की तिथि से, कोचिंग सेंटर संचालन करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा:-

(क) कोचिंग सेंटर के किसी भी पाठ्यक्रम में वर्तमान में नामांकित या नामांकित होने वाले सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और सीईडी-आईडी प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा, प्रत्येक विद्यार्थी को जारी की गई सीईडी-आईडी कोचिंग सेंटर की सीसीआर-आईडी से जुड़ी होगी;

(ख) वैध सीएमसी-आईडी वाले मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं को कोचिंग सेंटर के सीसीआर-आईडी से जोड़ा जाएगा:

बशर्ते कि, एक एकल सीएमसी-आईडी को एक से अधिक सक्रिय सीसीआर-आईडी से नहीं जोड़ा जाएगा;

(ग) कोचिंग सेंटर के सभी ट्यूटर्स को निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए और ऐसे ट्यूटर्स को जारी की गई सीटीआर-आईडी को कोचिंग सेंटर की सीसीआर-आईडी से लिंक किया जाना चाहिए। इसके अलावा, व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि सीसीआर-आईडी से जुड़े ट्यूटर्स की सूची कोचिंग सेंटर की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित हो;

(घ) कोचिंग सेंटर में नामांकित प्रत्येक विद्यार्थी की मासिक उपस्थिति रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कोई अन्य रिपोर्ट संबंधित विद्यार्थी के साथ साझा की जाएगी और इस तरह के साझाकरण का अनुपालन वेब पोर्टल पर सीईडी-आईडी के खिलाफ प्रस्तुत किया जाना चाहिए;

(ङ) कोचिंग सेंटर के संचालन का समय प्रातः 6:00 बजे से सायं 9:00 बजे तक या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के बीच होगा;

(च) प्रत्येक बैच में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या कोचिंग सेंटर के विवरणिका में उल्लिखित प्रत्येक बैच के लिए आवंटित/निर्धारित सीटों की संख्या से अधिक नहीं होगी;

(छ) विद्यार्थी की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रवेश या मॉक टेस्ट आयोजित करना और कोचिंग सेंटर की क्षमता को समझने में सहायता करना ताकि कोई अति अपेक्षाएं न हों;

(ज) प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी भी विद्यार्थी के साथ धर्म या नस्ल या जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा;

(झ) मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की सहायता से विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में समय-समय पर कार्यशालाएं और संवेदीकरण सत्र आयोजित करना;

(ञ) विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम की समय़-सीमा और कोचिंग सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना;

(ट) विद्यार्थी के विशेष अनुरोध पर, किसी भी सार्वजनिक परीक्षा या मूल्यांकन के परिणामों को गुमनाम करना और खराब प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए परामर्श सत्र उपलब्ध कराना;

(ठ) किसी भी परीक्षा में अपने नामांकित विद्यार्थियों की सफलता को प्रकाशित करते समय, व्यक्ति को स्पष्ट रूप से और प्रमुखता से सीईडी-आईडी और पाठ्यक्रम नामांकन का विवरण इंगित करना होगा;

(ड) विज्ञापन, प्रचार और प्रसार के प्रयोजनों के लिए उनके नाम, फोटो, सीईडी-आईडी, प्रशंसापत्र या वीडियो का उपयोग करने से पहले विद्यार्थी की लिखित और सूचित सहमति लेनी होगी;

(ढ) कोचिंग सेंटर का नियमित वित्तीय अंकेक्षण करना एवं उचित वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखना;

(ण) शुल्क भुगतान, वापसी, स्थानांतरण, प्रवेश और निकास से संबंधित नीतियां तैयार करना, जिससे विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम शुल्क के भुगतान में लचीलापन मिल सके

और पाठ्यक्रम अवधि के दौरान विद्यार्थी के कोचिंग सेंटर से बाहर निकलने की स्थिति में समय पर वापसी हो सके;

(त) सभी नीतियां कोचिंग सेंटर की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और प्रवेश फॉर्म, प्रॉस्पेक्टस या किसी भी प्रकार के विज्ञापन में उचित रूप से शामिल हैं;

(थ) आपातकालीन परिस्थितियों में 24x7 सहायता के लिए एक आंतरिक टोल-फ्री नंबर या हेल्पलाइन स्थापित करना;

(द) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 03 महीने के भीतर कोचिंग सेंटर का वार्षिक वित्तीय ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्मों के माध्यम से कराना, जिनकी कोचिंग सेंटर के मामलों में कोई रुचि नहीं है;

(ध) निर्धारित समय सीमा के भीतर वेब-पोर्टल पर अंकेक्षित विवरणों के साथ अंकेक्षित रिपोर्ट अपलोड और प्रस्तुत करना;

(न) कोचिंग सेंटर द्वारा की गई गतिविधियों का विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे वित्तीय वर्ष पूरा होने के तीन महीने के भीतर सार्वजनिक पहुंच के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना; तथा

(प) समिति या प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेशों का कार्यान्वयन करना।

(2) छात्रावासों, पेइंग गेस्ट या किसी भी प्रकार की आवासीय सुविधा प्रदान करने वाले कोचिंग सेंटर, उपधारा (1) में उल्लिखित शर्तों के अलावा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेंगे:-

(क) यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी और छात्राओं के लिए अलग-अलग कमरे हों तथा विद्यार्थी-छात्राओं को 24x7 सहायता प्रदान करने के लिए पुरुष और महिला वार्डन नियुक्त किए जाएं;

(ख) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 में उल्लिखित और समय-समय पर संशोधित शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावासों के लिए सभी प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन करना;

(ग) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रावासों में उचित सीसीटीवी निगरानी रखी जाए तथा सीसीटीवी फुटेज का बैकअप कम से कम 90 दिनों तक रखा जाए; तथा

(घ) समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश का अनुपालन करना।

18. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन

सभी पंजीकृत कोचिंग सेंटर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का इस सीमा तक अनुपालन करेंगे, कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों, या बनाए गए नियमों, या इसके तहत जारी आदेश के साथ असंगत न हों।

19.व्याख्या

यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेश के किसी उपबंध की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

20.आदेश जारी करने की शक्ति

इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के तहत किसी प्रावधान के अनुपालनर्थ राज्य सरकार तथा प्राधिकरण को आवश्यकतानुसार समय-समय पर कोई भी आदेश जारी करने की पूर्ण शक्ति होगी, जैसा कि राज्य सरकार / प्राधिकरण उचित समझे तथा सभी कोचिंग सेंटरों के लिए इसे लागू करना अनिवार्य होगा।

21.सभी कार्यों और आदेशों का संरक्षण

प्राधिकरण या समिति या उसके किसी सदस्य या प्राधिकृत पदाधिकारी / पदाधिकारियों द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए सभी कार्य एवं पारित किए गए सभी आदेश, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अंतिम होंगे; और तदनुसार, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किए गए या पारित किए जाने या किए जाने का तात्पर्यित किसी भी कार्य के लिए ऐसे प्राधिकरण या समिति या उसके किसी सदस्य या प्राधिकृत पदाधिकारी / पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी, या बनाए नहीं रखी जाएगी, या उनसे क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जाएगा।

22.रिक्ति आदि के कारण कार्यों और कार्यवाहियों को अमान्य नहीं ठहराया जाएगा

(1) प्राधिकरण या समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही किसी भी समय केवल इस आधार पर अवैध नहीं मानी जाएगी कि -

(क) ऐसे किसी प्राधिकरण का कोई भी सदस्य नियुक्त अथवा मनोनीत नहीं है या किसी अन्य कारण से गठन के समय पद ग्रहण करने या उसकी किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध नहीं है या कोई एक से अधिक पद पर है या उसके गठन में कोई अन्य दोष है या उसके सदस्यों के पदों में एक या अधिक रिक्तियां हैं; तथा

(ख) किसी ऐसे प्राधिकरण, निकाय या समिति की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है जो विचाराधीन मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है, और ऐसे किसी कार्य या कार्यवाही की वैधता पर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण या पदाधिकारी के समक्ष केवल ऐसे किसी आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

23.अभिलेखों का रखरखाव

(1) सभी निबंधित कोचिंग सेंटर ऐसे अभिलेख, खाते, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज संधारित रखेगा और समिति या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित होने पर प्रस्तुत करेगा ।

(2) कोचिंग सेंटर रिकार्ड के लिए प्राधिकरण और समिति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

24.कोचिंग सेंटर के स्थानांतरण संबंधी बंधेज

कोई भी पंजीकृत कोचिंग सेंटर केवल पंजीकरण प्रमाणपत्र में दर्शाए गए संचालन स्थल पर ही कोचिंग प्रदान करेगा और समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना, संचालन प्रारंभ करने के पत्र में उल्लिखित अपने संचालन स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित या पुनर्स्थापित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अनुमोदन के लिए आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया नियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

25.जांच करने की शक्ति

प्राधिकरण या समिति, अथवा प्राधिकरण या समिति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी कोचिंग सेंटर की गतिविधियों, उसके संतोषजनक प्रदर्शन तथा अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के अनुपालन के संबंध में जांच करने का अधिकार रखेगा।

26.शिकायतों का निपटारा और जुर्माना लगाना

(1) किसी भी कोचिंग सेंटर के विरुद्ध समिति के समक्ष कोई भी विद्यार्थी, अभिभावक, ट्यूटर या कोचिंग सेंटर के किसी भी कर्मचारी या आम जनता के किसी भी सदस्य द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

(2) यदि समिति शिकायत में उपलब्ध कराए गए भौतिक और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट है कि कोचिंग सेंटर अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है या उनके अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो वह संबंधित कोचिंग सेंटर और व्यक्ति को ऐसी शिकायत की एक प्रति के साथ कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है, तथा उन्हें कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है:

बशर्ते कि, यदि समिति की राय है कि शिकायतकर्ता द्वारा सामग्री और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, तो वह शिकायत के विरुद्ध प्रारंभिक जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन कर सकती है, जो निर्धारित समयावधि के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी या ऐसी बर्खास्तगी के आधारों को स्पष्ट रूप से बताते हुए शिकायत को खारिज कर सकती है।

(3) इस धारा की उपधारा (2) के अधीन गठित जांच समिति को अपनी जांच के दौरान निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी:-

(क) किसी भी उचित समय पर ऐसे किसी परिसर में प्रवेश करना तथा किसी दस्तावेज, अभिलेख, वस्तु या किसी अन्य प्रकार के साक्ष्य की तलाशी लेना तथा ऐसे दस्तावेज, अभिलेख, वस्तु या ऐसे साक्ष्य को जब्त करना;

(ख) ऐसे अभिलेख या लेख का नोट या सूची बनाना; तथा

(ग) किसी भी व्यक्ति से किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज़ अथवा वस्तु को प्रस्तुत करने की मांग करना।

(4) तलाशी और जब्ती से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधान, जहां तक संभव हो, इस धारा की उपधारा (3) के तहत की गई तलाशी और जब्ती पर लागू होंगे।

(5) उपधारा (3)(क) के अधीन अभिगृहीत या उपधारा (3)(ग) के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज, अभिलेख या वस्तु उस व्यक्ति को, जिससे वह अभिगृहीत की गई थी या जिसने उसे प्रस्तुत किया था, ऐसी अभिग्रहण या प्रस्तुति की तिथि से 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, उसकी प्रतियां या उससे प्राप्त उद्धरण उस व्यक्ति द्वारा प्रमाणित कर लिए जाने के पश्चात्, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, वापस कर दिए जाएंगे।

(6) जांच समिति द्वारा प्रस्तुत ऐसी जांच रिपोर्ट के आधार पर, यदि समिति संतुष्ट है कि कोचिंग सेंटर अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है या उनके अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो वह संबंधित कोचिंग सेंटर और व्यक्ति को ऐसी शिकायत की एक प्रति के साथ कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है, जिसमें उन्हें कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा:

बशर्ते कि, यदि जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर समिति संतुष्ट हो कि कोचिंग सेंटर अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रहा है, तो वह शिकायत को खारिज कर सकती है।

(7) यदि समिति संबंधित कोचिंग सेंटर और व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंड लगा सकती है। समिति, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसी सभी शिकायतों के लिए उचित आदेश पारित करके शिकायतों की प्राप्ति के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर उनका निपटारा करेगी:

बशर्ते कि, अत्यावश्यक परिस्थितियों में समिति के अध्यक्ष को समिति की ओर से किसी शिकायत के तत्काल और शीघ्र निपटान के लिए निर्देश या आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

(8) कोचिंग सेंटर या शिकायतकर्ता समिति द्वारा उपधारा (7) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध प्राधिकरण को ऐसे आदेश पारित होने के 30 (तीस) दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है।

(9) समिति को इस अधिनियम या बनाए गए नियमों या उसके तहत जारी आदेश के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में कोचिंग सेंटर पर जुर्माना लगाने की शक्ति होगी।

(10) इस अधिनियम के तहत कोचिंग सेंटर द्वारा उल्लंघन के लिए दंड लगाने की श्रेणीबद्ध प्रणाली निम्नानुसार होगी:-

(क) पहली बार अपराध करने पर 5,00,000 रुपये तक का जुर्माना;

(ख) दूसरे अपराध के लिए 10,00,000 रुपये तक का जुर्माना; और

(ग) किसी भी बाद के उल्लंघन के लिए पंजीकरण रद्द करना तथा 60 दिनों की अवधि के भीतर उपयुक्त अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना।

(11) उपधारा (10)(क) एवं (10)(ख) के अधीन जारी किए गए दंड, बिना किसी पूर्वाग्रह के, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में निर्दिष्ट दंड के अतिरिक्त लगाए जा सकेंगे:

बशर्ते कि, कोचिंग सेंटर को सुनवाई का अवसर दिए बिना उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

(12) इस प्रकार लगाया गया जुर्माना नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वसूल किया जाएगा।

(13) यदि कोचिंग सेंटर समिति द्वारा उप-धारा (10)(ग) के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार आवश्यक सुधार करने में विफल रहता है, तो समिति संबंधित व्यक्ति को काली सूची में डालने (ब्लैकलिस्ट करने) की अनुशंसा प्राधिकरण से कर सकती है।

(14) यदि कोचिंग सेंटर या संबद्ध व्यक्ति पंजीकरण रद्द करने या काली सूची में डालने के बाद भी संचालन जारी रखता है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के लागू प्रावधानों के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

(15) यदि इस अधिनियम के अधीन उल्लंघन करने वाला कोचिंग सेंटर कोई सोसायटी या ट्रस्ट या सीमित दायित्व भागीदारी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे उल्लंघन के समय सोसायटी या ट्रस्ट या सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यों के संचालन के लिए प्रभारी था और उसके

प्रति उत्तरदायी था, उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उसे दंडित किया जा सकेगा:

बशर्ते कि, इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सभी तत्परता बरती थी।

(16) यदि कोचिंग सेंटर का संचालन किसी व्यक्ति द्वारा फ्रेंचाइज़ी अनुबंध के माध्यम से किया जा रहा है और उसने इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों या राज्य सरकार या प्राधिकरण या समिति द्वारा जारी आदेशों के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है, तो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी को भी समान रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा और उन्हें इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा और इस अधिनियम के तहत दंड के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

(17) यदि कोचिंग सेंटर समिति द्वारा लगाए गए जुर्माने से असंतुष्ट है, तो वह ऐसे जुर्माने के लगाए जाने के 30 (तीस) दिनों के भीतर प्राधिकरण को अपील कर सकता है, और प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

27.कोचिंग सेंटर का समापन

(1) यदि व्यक्ति उसके समापन नीति के अनुरूप किसी भी कारण से, पंजीकरण की वैध अवधि के भीतर कोचिंग सेंटर को बंद करने का प्रस्ताव करता है, तो उसे पंजीकरण की समाप्ति की अवधि से अथवा अंतिम बैच के पूरा होने से 90 (नब्बे) दिन पहले, जो भी पहले हो, समिति को लिखित सूचना देनी होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, समिति एक पर्यवेक्षण प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि जिस व्यक्ति के अधीन कोचिंग सेंटर पंजीकृत किया गया है, उसने कोचिंग सेंटर में नामांकित विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर दी है और कोचिंग सेंटर की शुल्क वापसी नीति के अनुसार शुल्क वापस कर दिया गया है।

(3) समिति कोचिंग सेंटर की स्थापित नीति के अनुसार समापन प्रक्रिया के लिए पर्यवेक्षण प्राधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी के पद से अन्यून पदाधिकारी को नामित करेगी।

28.नियम बनाने की शक्ति

(1) राज्य सरकार, *आधिकारिक राजपत्र* में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम का प्रभाव ऐसा होगा मानो वह इस अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो।

29.कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, *आधिकारिक राजपत्र* में अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जिन्हें वह कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे एवं वह इस अधिनियम से असंगत न हो।

30.संस्थानों के लिए छूट

अपने परिसर में उपचारात्मक कक्षाएं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली किसी भी संस्था को इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी जाएगी:

बशर्ते कि, राज्य सरकार या भारत सरकार की किसी योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए, इस अधिनियम की धारा 13, 14, 15 और 16 के लागू प्रावधानों के तहत विशिष्ट पंजीकरण आईडी बनाने के प्रावधान लागू हो सकते हैं।

31.आधिकारिक पाठ की भाषा

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि अधिनियम के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण के बीच कोई असंगति या विसंगति है, तो अधिनियम का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

32.अन्य कानूनों पर अधिनियम की प्रधानता

इस अधिनियम के प्रावधानों को, वर्तमान में प्रचलित किसी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत प्रावधान के बावजूद, प्रधानता प्राप्त होगी।

उद्देश्य एवं हेतु

झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025 बनाने के उद्देश्य और लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

1. कोचिंग सेंटरों की निगरानी एवं विनियमन के लिए राज्य स्तरीय कोचिंग सेंटर विनियामक प्राधिकरण और जिला स्तरीय कोचिंग सेंटर विनियामक समितियों की स्थापना करना।
2. सभी कोचिंग सेंटरों, विद्यार्थियों, ट्यूटर्स और मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं के लिए अनिवार्य पंजीकरण प्रणाली लागू करना, तथा उन्हें विशिष्ट डिजिटल आईडी प्रदान करना: क्रमशः सीसीआर-आईडी, सीईडी-आईडी, सीटीआर-आईडी और सीएमसी-आईडी।
3. कोचिंग केंद्रों के पंजीकरण और संचालन के लिए न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं को परिभाषित करना, राष्ट्रीय दिशानिर्देशों से प्रासंगिक प्रावधानों को शामिल करना, तथा बुनियादी ढांचे, संकाय योग्यता और पाठ्यक्रम को कवर करना।
4. राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के विद्यार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप, शुल्क संरचनाओं, धन वापसी नीतियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करके तथा सुरक्षित शिक्षण वातावरण प्रदान करके विद्यार्थी हितों की रक्षा करना।
5. कोचिंग केंद्रों को पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं द्वारा कैरियर मार्गदर्शन और मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य करना, तथा राष्ट्रीय दिशानिर्देशों में उल्लिखित विद्यार्थी कल्याण पर जोर देना।
6. विद्यार्थियों में तनाव को दूर करने और कम करने के उपायों को लागू करना, स्वस्थ अध्ययन आदतों और तनाव प्रबंधन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों में उल्लिखित सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना।
7. गुणवत्तापूर्ण कोचिंग के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के उद्देश्यों के अनुरूप प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सहायता और समग्र विकास की सुविधा प्रदान करना।
8. भ्रामक विज्ञापन, झूठे वादे और कोचिंग सेंटरों द्वारा विद्यार्थियों के शोषण जैसी कुप्रथाओं पर अंकुश लगाना, सख्त निगरानी और दंड के माध्यम से प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करना।
9. राज्य और जिला स्तर पर सुलभ शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना, जिसमें चिंताओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों से निष्पक्षता और दक्षता के सिद्धांतों को शामिल किया जाना चाहिए।
10. कोचिंग की विकसित होती प्रकृति के अनुसार नियमित समीक्षा और अद्यतन सुनिश्चित करना तथा नियामक ढांचे की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना।

इसलिए यह विधेयक प्रस्तावित है।

(सुदिव्य कुमार)
भार साधक सदस्य

झा०रा०मु०राँची (विधि) 5(A)--200--4-8-2025

झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025

विषयसूची

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ
2. परिभाषाएं
3. झारखंड राज्य कोचिंग सेंटर नियामक प्राधिकरण
4. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन और नियुक्ति
5. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल और सेवा की शर्तें
6. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का इस्तीफा और निष्कासन
7. प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य
8. प्राधिकरण की प्रक्रिया
9. जिला कोचिंग सेंटर नियामक समिति
10. जिला कोचिंग सेंटर नियामक समिति की शक्तियाँ और कर्त्तव्य
11. समिति की प्रक्रिया
12. प्राधिकरण और समिति के कोष, वित्त और अंकेक्षण
13. कोचिंग सेंटर का पंजीकरण और स्थापना
14. विद्यार्थियों का पंजीकरण
15. मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं का पंजीकरण
16. ट्यूटर्स का पंजीकरण
17. कोचिंग सेंटर का संचालन
18. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन
19. व्याख्या
20. आदेश जारी करने की शक्ति
21. सभी कार्यों और आदेशों का संरक्षण
22. रिक्ति आदि के कारण कार्यों और कार्यवाहियों को अमान्य नहीं ठहराया जाएगा
23. अभिलेखों का रखरखाव
24. कोचिंग सेंटर के स्थानांतरण संबंधी बंधेज
25. जांच करने की शक्ति
26. शिकायतों का निपटारा और जुर्माना लगाना
27. कोचिंग सेंटर का समापन
28. नियम बनाने की शक्ति
29. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
30. संस्थानों के लिए छूट
31. आधिकारिक पाठ की भाषा
32. अन्य कानूनों पर अधिनियम की प्रधानता